श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इंदौर
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़ इंदौर–452 007
दूरभाष 0731–2432822 फैक्स : 0731–2536600
ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

विषय :– कर्मकारों को कोविड–19 संक्रमण (महामारी) के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने बाबत्।

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 (महामारी) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से निम्न परिपत्रों द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी प्रतियाँ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है –

1. परिपत्र कमांक 664–666 दिनांक 18.03.2020
2. 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/13999–14059 दिनांक 19.03.2020

उक्त उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के जिलों में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत लॉक डाउन की घोषणा की गयी है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कारखाने, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद किये गये हैं। जिनके कारण इनमें कार्यरत कर्मकार भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अतः राज्य के श्रम आयुक्त की ओर से बंद कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों को निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति/छंटनी/सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जावेगा।

2. कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जावेगी।

3. यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

4. ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में जहाँ अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाए अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है, जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा निर्माण, मास्क व सेनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा–चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पम्प, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/टिफिन आदि सेवाए, तो इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्त संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे – मास्क, हेण्ड ग्लोव्ज, साबून और सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।

5. सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जावेगा।

संलग्न–उक्तानुसार

23/03/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश

क्रमांकः - 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/622-723 (2) इंदौर, दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. समस्त श्रम संगठन, औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन तथा वाणिज्यिक संगठन, म.प्र.।

3. समस्त कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के अधिभोगी/प्रबंधक।

4. समस्त उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ व समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।

5. संचालक, समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं समस्त कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।

6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि इसे समस्त राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कराया जावे।

23/03/2020

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इंदौर

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर–452 007
दूरभाष 0731–2432822 फैक्स : 0731–2536600
ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 36/प्र. स./स्वा/ सत्रह/मेडि–तीन, भोपाल दिनांक 15.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है । आपको विदित ही है कि कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुये इसे महामारी (PANDEMIC) घोषित किया गया है।

कारखानों में कार्यरत श्रमिकगणों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोक–थाम एवं बचाव हेतु उचित होगा कि सुरक्षा के निम्न रक्षित कार्यो को अपनाया जाए:–

1. श्रमिकगणों के लिये कारखानों में नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन से धोने की व्यवस्था/ सेनिटाईजर की व्यवस्था रखी जावे।
2. कारखानों के श्रमिको को इससे बचाव व रोक–थाम में अपनायी जाने वाली निम्न जानकारी दी जावे:–
   - (i) नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन/सेनेटाईजर से धोंऐ।
   - (ii) बिना हाथ धोऐ अपने मुँह, आँख, नाक व कान को न छुऐ।
   - (iii) संक्रमित सामाग्रियों के संपर्क में आने के बाद आँख या नाक छुने से बचे।
   - (iv) सीधे संपर्क में न आने वाली गतिविधियों का अनुसरण करें। अभिवादन हेतु हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें।
   - (v) इस बीमारी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल–फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।
   - (vi) बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालय से संपर्क करें।
   - (vii) बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु मानक स्तर के मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
   - (viii) जिन कारखानों में महिला श्रमिकों का नियोजन 30 से कम होने पर नियमानुसार केच की व्यवस्था नहीं है उन कारखानों में नियोजित महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये बीमारी से बचाव हेतु पृथक से विशेष व्यवस्था की जावे।

(ix) जिन कारखानों में केच की व्यवस्था की गई है उनमें केच स्थल पर ही साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था/सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

3. जिन कारखानों मे मेडिकल आफीसर नियुक्त है वह इस सबंध में सतत निगरानी रखे।

4. इस बीमारी से बचाव एवं रोक–थाम हेतु जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सूचनाओं व उपायों के संबंध में श्रमिकों को नियमित रूप से अवगत कराया जावे।

18/03/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

क्रमांकः 664-666
इंदौर, दिनांक 18/3/202

प्रतिलिपिः–

1. समस्त औद्योगिक श्रमिक संगठन, म.प्र. ।
2. समस्त कारखानों के अधिभोगी/कारखाना प्रबंधक।
3. समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ व कारखानों को अवगत कराने संबंधी पालनार्थ प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

18/03/2020
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इंदौर

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़ इंदौर–452 007
दूरभाष 0731–2432822 फैक्स : 0731–2536600
ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पत्र कमांक 36/प्र.स./स्वा/ सत्रह/मेडि–तीन, भोपाल दिनांक 15.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। आपको विदित है कि कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुये इसे महामारी (PANDEMIC) घोषित किया गया है। इस संबंध में कारखानों में कार्यरत श्रमिकगणों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु परिपत्र दिनांक 18.03.2020 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस परिपत्र की प्रति भी संलग्न है।

2. उक्त के अनुरूप ही राज्य में स्थित विभिन्न दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में भी नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु यह आवश्यक है कि इनमें कार्यरत सभी कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी उक्त परिपत्र दिनांक 18.03.2020 के अनुसार ही व्यवस्था सुनिश्चित करायी जावें।

3. इसके साथ ही इस बीमारी से बचाव एवं रोक–थाम हेतु जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय– समय पर जारी सूचनाओं व उपायों के संबंध में श्रमिकों को नियमित रूप से अवगत कराया जावे। इस हेतु परिपत्र एवं संलग्नकों की प्रति समस्त श्रम संगठनो, औद्योगिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों तथा अन्य वाणिज्यिक संगठनों को उपलब्ध कराते हुए इनके पालन हेतु समस्त आवश्यक उपाय किये जावे।

संलग्न–उक्तानुसार

19/03/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

कमांकः 1/1/ओआ/दुका/2017/ 13999 - 14059 इंदौर, दिनांक 19/3/2020

प्रतिलिपिः–

1. समस्त श्रम संगठन, औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन तथा वाणिज्यिक संगठन, म.प्र.।
2. समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के अधिभोगी/प्रबंधक।
3. समस्त उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ व समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
4. इसे समस्त राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कराया जावे।

19/03/2020
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर